


## निर्णय

खेत खसरा नम्बर 42 / 27 तादादी 1.93 हेक्टेयर रोही चक 2 बासी हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी का दर्ज अशुद्ध नाम कैलाश पुत्र खुमदास जाति स्वामी के स्थान पर शुद्ध नाम गुलदास पुत्र खुमदास जाति स्वामी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



  
(दिव्या)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ

